



प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज ***दिनांक 18-11-2023*** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

1-अवैध तमंचा, कारतूस के साथ 02 गिरफ्तार थाना कटघर:-

अवगत कराना है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कटघर पुलिस द्वारा आज दिनांक 18.11.2023 को अभियुक्त1- मोनू दिवाकर पुत्र लक्ष्मण प्रसाद निवासी पीतलनगरी वार्ड नं0 44 गली नं0 01 कमला बिहार थाना



कटघर जनपद मुरादाबाद को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर व अभियुक्त 2- अरबाज पुत्र नसरत निवासी ग्राम इमलाक थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कटघर पर मु0अ0सं0-0568/2023, 572/2023 धारा - 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये हैं, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2-अवैध तमंचा, कारतूस के साथ 01 गिरफ्तार थाना मूढापाण्डे:-

अवगत कराना है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मूढापाण्डे पुलिस द्वारा आज दिनांक 18.11.2023 को अभियुक्त सुखदेव पुत्र भगवान दास निवासी ग्राम वीरपुर वरियार उर्फ खरग थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद उम्र 23 वर्ष को 01 अवैध तमंचा, 01 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना मूढापाण्डे पर मु0अ0सं0-332/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



3-दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार थाना ठाकुरद्वारा:-

अवगत कराना है दिनांक 22.10.2023 को वादिनी निवासी थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को ले जाने, गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में तहरीर देकर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0-440/23 धारा-363/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही, बयान/बरामदगी पीड़िता, अन्य साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गई। उक्त के क्रम में आज दिनांक 18.11.2023 को थाना ठाकुरद्वारा पुलिस द्वारा अभियुक्त विशाल पुत्र रवि उर्फ रवीया निवासी ग्राम रतुपुरा थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।



4-गर्भपात कराने की 01 और आरोपी गिरफ्तार थाना कुन्दरकी:-

अवगत कराना है कि दिनांक 13.04.2023 को वादी निवासी थाना सैफनी जनपद रामपुर ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी की पुत्री को डरा-डमकाकर गर्भपात कराने आदि के सम्बन्ध में थाना कुन्दरकी पर तहरीर देकर मु0अ0सं0-89/2023 धारा- 315/120बी भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में थाना कुन्दरकी पुलिस द्वारा दिनांक 14.04.2023 व 21.05.2023 को 02 आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है। आज दिनांक 18.11.2023 को प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार थाना कुन्दरकी द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से प्रकाश में आयी अभियुक्ता हिना पुत्री कल्लू निवासी सिहाली माला थाना बिलारी मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।